



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक

30.10.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1017/22 धारा 388 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1017/22 धारा 388 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

01 महिला ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 1017/22 धारा 388 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 678/22 धारा 147/148/452/323/352 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि० श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-म०का० 532 पूजा कोतवाली बागपत ।

3-म०हो०गा० 804 नरेश थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 30.10.2022

थाना छपरौली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता:-

1. महीपाल पुत्र सभा सिंह निवासी ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री राकेश त्यागी थाना छपरौली ।

2.हो0गा0 504 ईश्वर थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 30.10.2022

**थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 0138/2022 धारा 147/149/
420/406/452/323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.04.2022 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री विक्की धामा पुत्र वेदपाल निवासी पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.रोबिन धामा पुत्र राजकुमार, 2. राजकुमार, 3.मोनी पुत्र राजकुमार व 02 महिला निवासीगण पट्टी रामपुर कस्बा व



थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने षडयन्त्र रचकर सरकारी नौकरी लगवाने के लिए उससे 05 लाख रुपये ले लिए व रुपये वापस मांगने पर अभियुक्तगण द्वारा उसके घर में घुसकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 138/22 धारा 147/149/420/406/452 /323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 138/22 धारा 147/149/420/406/452/323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-रोबिन पुत्र राजकुमार नि० पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री मंजीत सिंह थाना खेकड़ा ।
2. का० 217 राधेश्याम थाना खेकड़ा ।